राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

(स्वास्थ्य भवन, सी स्कीम, जयपुर)

क्रमांक : ई33/प्रयो. सहा./भर्ती सीधी–2013/2018/ 158 दिनांक : 27/2/18

आदेश

श्री हेम सिंह पुत्र श्री देवी सिंह निवासी– प्लाट नं. 6, नेहरू कॉलोनी, जोधपुर, राज0 ने अपने अभ्यावेदन दिनांक 30.01.2018 के द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 2141/2017 हेम सिंह बनाम राज्य सरकार व अन्य में माननीय न्यायालय के पारित आदेश दिनांक 19.01.2018 की पालना में अनुभव के आधार पर प्रयोगशाला सहायक के पद पर नियुक्ति प्रदान करने हेतु निवेदन किया है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर का पारित आदेश दिनांक 19.01.2018 का ऑपरेटिव पार्ट निम्न प्रकार है:–

"In view of the above, the writ petition is disposed of with a direction to the petitioner that if he submits a fresh representation within fifteen days for his consideration on the post of Laboratory Assistant as per his merit, then the same shall be considered by the respondents strictly in accordance with law by passing a speaking order within a period of thirty days from today."

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के पारित आदेश 19.01.2018 के परिपेक्ष्य में लेख है कि श्री हेम सिंह पुत्र श्री देवी सिंह ने प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2013 में अनारक्षित वर्ग में विशेष योग्य जन श्रेणी (Locomotor(OL)) में ऑनलाईन आवेदन किया, किन्तु अभ्यार्थी द्वारा प्रस्तुत विकलांग प्रमाण पत्र मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी नहीं है। तथा उक्त भर्ती में विकलांग श्रेणी में अभ्यर्थियों के विकलांगता की जांच हेतु गठित मेडिकल टीम नें अभ्यर्थी के दायें पैर में 40 प्रतिशत से कम विकलांगता होना पाया है। जिसके आधार पर चयन समिति ने विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तानुसार अभ्यार्थी को विशेष योग्य जन श्रेणी में नहीं मानकर सामान्य श्रेणी में माना है। याचि/अभ्यर्थी ने जोधपुर अडल्ट एजूकेशन एसोशियन जोधपुर से जारी 9 माह का एम.एल.टी. कोर्स प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। जो राज सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से नही होने के कारण चयन समिति ने मान्य नही किया। अभ्यर्थी ने सचिव उम्मेद अस्पताल मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी जोधपुर से जारी दिनांक 01.12.2009 से 30.6.2013 तक कुल अवधि 3 वर्ष 1 माह 29 दिवस कुशल श्रमिक (लैब टेक्नीशियन) पद का अनुभव प्रमाण पत्र, जो संयुक्त निदेशक जोन जोधपुर से प्रमाणित होने के कारण चयन समिति ने स्वीकार किया है। जिसमें से 1 वर्ष का अनुभव अभ्यर्थी की तकनिकी योग्यता में सम्मलित करने के फलस्वरुप शेष अवधि के 10 प्रतिशित बोनस अंक देय होगे। अभ्यर्थी के सैकण्डरी प्राप्तांक 38.33 प्रतिशत है, जिसका 85 प्रतिशत वेटेज 33 प्रतिशत होता है। जिसमें 10 प्रतिशत बोनस अंक जोडने के पश्चात अभ्यार्थी की कुल औसत 43 प्रतिशत बनती है। जबकि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर रिट संख्या 2900/2016 मांगीलाल व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य एवं रिट याचिका संख्या 13920/2015 श्री नरेन्द्र कुमार जोशी व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.04.16 की पालना में अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान किये जाने एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर डी.बी.सिविल स्पेशल अपील रिट याचिका संख्या 578/2016 प्रदीप सिंह बनाम राज सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 14.09.2016 की पालना में पूरक परीक्षा में वास्तविक अंको को जोडने के पश्चात अन्तिम कटऑफ से उच्च वरियता वाले अभ्यर्थियों को अनारक्षित वर्ग की वरियता सूची में सम्मिलित करने के फलस्वरूप अनारक्षित वर्ग की अन्तिम कटऑफ 48.69 के स्थान पर 49.31 प्रतिशत रही है, जिसके विरूद्ध याचि/अभ्यर्थी श्री हेम सिंह पुत्र श्री देवी सिंह का औसत प्रतिशत अनारक्षित वर्ग की अन्तिम कटऑफ 49.31 प्रतिशत से कम होने के कारण वरियता सूची में स्थान बनाने में असफल रहे है।

अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के पारित आदेश दिनांक 19.01.2018 की अनुपालना में याचि/अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 30.01.2018 अस्वीकार कर एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : ई33/प्रयो. सहा./भर्ती सीधी–2013/2018/ 156 दिनांक : 27/2/18

प्रतिलिपि निम्नांकित को वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) राजस्थान, जयपुर।
3. उपविधि परामर्शी, मुख्यालय।
4. श्री के.एल. ठाकुर, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधुपर।
5. सहायक लेखाधिकारी कार्यालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर एवं केस प्रभारी अधिकारी।
6. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
7. श्री हेम सिंह पुत्र श्री देवी सिंह निवासी– प्लाट नं. 6, नेहरू कॉलोनी, जोधपुर, राज0 (रजिस्टर्ड)
8. आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।